आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पत्र

-18

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष
अनुपस्थित। उक्त वाद थाना प्रभारी नयाग के
अप्राथमिकी सं० 36/16 दिनांक 8-7-16 प्रस्तुत इत्तिला
प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 29-8-16 को प्रथम
किया गया। वाद में प्रथम पक्ष के सभी सदस्य
उपस्थित हुए एवं द्वितीय पक्ष के क्रमांक 02 फतुराम
महतो उपस्थित हुए क्रमांक 01 कलेवर महतो
वाद में एक बार भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराए।
द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 को न्यायालय में उपस्थित
होने हेतु चेतावनी नोटिस एवं वारंट निर्गत किया
गया किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। वाद के दौरान
द्वितीय पक्ष क्रमांक 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा
न्यायालय में आवेदन देकर निवेदन किया गया
कि वे प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित
होते आ रहे हैं। जो एक वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी
उम्र 70 वर्ष से ऊपर है। यह कि यह मुकदमा
एक साल से ऊपर हो गया है द्वितीय पक्ष क्रमांक
02 एक गरीब एवं वरिष्ठ नागरिक है एवं
प्रत्येक तिथि को न्यायालय आकर परेशान हो
जाते हैं। उक्त तथ्यों का अवलोकन करते
हुए द्वितीय पक्ष अधिवक्ता ने वाद को
खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा भी वाद को बन्द करने की मौखिक स्वीकृति दी गई है। अतः उक्त वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची) 20/8/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची)